

STATEMENT BY MINISTER
Construction of Shahdara Saharanpur
Railway Line

THE MINISTER OF RAILWAYS (PRO. MADHU DANDAVATE): Sir, construction of a new broad gauge line from Shahdara to Saharanpur, in place of the old narrow gauge line which ceased operation in 1970, was approved by Parliament, through the Supplementary Demands for Grants of the Ministry of Railways presented to them in August, 1973, on the basis that a Corporation jointly financed by the Government of Uttar Pradesh and the Ministry of Railways would be set up to run the line and the cost of construction and running the broad gauge line would be shared equally by the Central Government and the State Government. The Government of Uttar Pradesh have so far contributed Rs. 2.15 crores towards the cost of construction of the line. They have, however, expressed their inability to contribute more funds for this project. It may be recalled that in the case of Howrah-Amta, Howrah-Sheakhala and Jakhapura-Banspani lines, which were also taken up on the basis that 50 per cent of their cost of construction would be contributed by the respective State Governments, a revised financial arrangement has already been agreed to under which the State Governments will only provide land for these projects. On the same basis, Government have decided that the Ministry of Railways will bear the cost of the project, and the amount of Rs. 2.15 crores already contributed by the State Government will be appropriated towards the cost of land and wooden sleepers for the projects. The idea of forming a joint Corporation for running the Railway lines has also been dropped and the line, when completed, will be operated as part of the Northern Railway system. I am taking this opportunity to inform the House of the change in the arrangement.

THE LOKPAL BILL, 1977

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Sir, I beg to move...

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal):
Please come before the mike and speak.

SHRI

आप की

हर माकूल बात मान लूंगा

CHARAN SINGH:

Sir, I beg to move the following Motion;

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and for matters connected therewith, and resolves that the following 15 members of the Rajya Sabha, namely: —

- (1) Shri Rabi Ray,
- (2) Shri Sunder Singh Bhandari,
- (3) Shri Mahadeo Prasad Varma,
- (4) Shri Vithal Gadgil,
- (5) Shri D. P. Singh,
- (6) Shri Devendra Nath Dwivedi,
- (7) Shrimati Margaret Alva,
- (8) Shri A. R. Antulay,
- (9) Shri Sawaisingh Sisodia,
- (10) Shri N. G. Ranga,
- (11) Shri S. W. Dhabe,
- (12) Shri Bipinpal Das,
- (13) Shri Bhupesh Gupta,
- (14) Shri K. A. Krishnaswamy, and
- (15) Shri G. Lakshmanan,

be nominated to serve On the said Joint Committee."

उपसभापति महोदय, बहुत संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने 1966 में सिफारिश की थी कि राजनीतिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार हमारे देश में है उस को रोकने के लिये एक लोकपाल नाम की संस्था कायम की जाय। इसे पहले संथानम कमेटी ने 1964 में भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। तो 1968 में लोकपाल और लोक आयुक्त बिल उस समय की केन्द्रीय

श्री चरण सिंह

सरकार ने पेश किया था। वह बिल लोक सभा से स्वीकृत भी हो गया था और राज्य सभा में जब विचाराधीन था तो लोक सभा का टर्म समाप्त हो गया और 1971 में जैसा कि वह लोक सभा से स्वीकृत हुआ था, दुबारा वह पांचवीं या छठी लोक सभा में पेश हुआ। 1971 से लेकर अब तक वह विचाराधीन है। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वह टर्म भी लोक सभा का खत्म हो गया। तो अब नया बिल इस आशय से लाया गया है, लेकिन पहले विधेयक से इस में बहुत अन्तर है। मसलन सब से पहली बात तो यह है कि इस का नाम है लोकपाल बिल, न कि लोकपाल ऐंड लोक आयुक्त बिल। लोक आयुक्त नाम उस में यूँ रखा गया था कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं या जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं उन की तहकीकात भी यह इंस्टीट्यूशन या यह संस्था पहले कर सकती थी। यह इंस्टीट्यूशन जो कायम होने जा रहा है लोकपाल का, इसमें गवर्नमेंट अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने का अधिकार लोकपाल को नहीं होगा, इसलिये इसका नाम सिर्फ लोकपाल बिल रखा है। राज कर्मचारियों में बहुत भ्रष्टाचार है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन राजकर्मचारियों या गवर्नमेंट अफसरान का और राजनेताओं या पोलिटिकल लीडर्स का एक ही जज हो और लोकपाल के जरिये अगर तहकीकात वर्ग-रह की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई तो उसमें बहुत समय लग जाएगा क्योंकि पब्लिक सर्वेन्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। फिर एक लोकपाल नहीं पता नहीं कितने लोकपाल होंगे और कितना समय लगेगा। तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के खिलाफ बहुत सी स्टेट्स में और यहां सेंटर में भी विजिलेंस कमीशन हैं। मैं बहुत यकीन के साथ तो नहीं कहता लेकिन मुझे कुछ-कुछ ऐसा महसूस होता है कि विजिलेंस कमीशन भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेन्ट्स के खिलाफ जो कर्रप्शन की

शिकायत है उसको रोकने में इसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। तो हो सकता है कि विचार करने के बाद गवर्नमेंट एक विजिलेंस कमीशन या उसी प्रकार की संस्था, नाम चाहे जो कुछ हो, पब्लिक सर्वेन्ट्स के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की तहकीकात करने के लिए कोई दूसरा बिल लाये या मीजर लाये। अभी मैं ठीक नहीं कह सकता। लेकिन लोकपाल बिल पोलिटिकल लीडर्स कहिये या पब्लिक मैन कहिये, उनके लिए है।

SHRI BHUPESH GUPTA: Only political workers or MPs.

श्री चरण सिंह : एम० पी० भी तो पोलिटिकल वर्कर्स ही हैं। पब्लिक मैन के लिए इसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को भी रखा है। लोकपाल एण्ड लोकायुक्त बिल में प्राइम मिनिस्टर को नहीं रखा गया था, केवल मिनिस्टर्स थे, केन्द्र के भी और जहां तक मुझे स्मरण है, प्रदेशों के भी। हमने इसमें पार्लियामेंट के मੈम्बर्स को रखा है और चीफ मिनिस्टर्स को रखा है। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को रखा है मिनिस्टर्स को नहीं रखा है। तो चीफ मिनिस्टर प्रदेशों के और यहां के सभी मिनिस्टर्स को तो रखा ही है, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर इसके जूरिस्टिक्शन से बाहर थे, अब प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और एम० पी० भी होंगे। जितने मੈम्बरान हैं पार्लियामेंट के वे सब इसके अन्दर होंगे। प्राइम मिनिस्टर रखें या न रखें इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे होंगे कि जिनके खिलाफ कोई उंगली न उठा सके तो फिर उसका नतीजा यह होता है कि फिर गलतियां करने वाले मिनिस्टर और एम०पी० भी नहीं रहते हैं क्योंकि सब के ऊपर अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर का। अब एकाध सज्जन ने गालिबन लोकसभा में तो नहीं, पता नहीं मुझे पार्टी का जिक्र करना चाहिए या नहीं, जनता पार्टी की मीटिंग में हमारे कुछ मित्रों ने रखा कि प्राइम मिनिस्टर को

इसमें नहीं रखना चाहिए। वह तो कानून के ऊपर होने चाहिए। हमने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर और मेम्बर पार्लियामेंट सब इक्वल हैं इन दि आईज आफ ला। बल्कि जो आदमी जितना बड़ा अधिकार रखता हो उसका स्टैंडर्ड, आचरण के पैमाने उसके और ज्यादा बड़े होने चाहिए। उनका इम्तहान और ज्यादा स्ट्रिकटली होना चाहिए, स्ट्रिकली उनके काम को देखना होगा। इसलिए हमने प्राइम मिनिस्टर को इसमें रखा है। दूसरी विशेषता यह है इस बिल की।

तीसरी विशेषता यह है कि जिस रोज कोई आदमी शिकायत करता है कदाचार की, मिस-कंडक्ट की तो हमने उसमें मिस-कंडक्ट रखा है उसकी डेफिनिशन जैसी कि इंडियन पीनल कोड में परिभाषा की गई है, प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट में जो परिभाषा की गई है उन दोनों को शामिल करके रखा है इसको कदाचार कहिये या भ्रष्टाचार कहिये। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाला जिस तारीख को शिकायत करता है उसके 5 साल के अन्दर के कदाचार या भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। 5 साल से पहले की कोई शिकायत करे तो इसमें नहीं आयेगा। यह तीसरा विषय मैंने बताया है। चौथी बात इस बिल में यह है कि हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दी है। लोकपाल के अधीन यह एजेंसी होगी। पहले बिल में यह नहीं था। अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी गवर्नमेन्ट की होगी, चाहे वह सी० बी० आई० हो या पुलिस का कोई आर्गनाइजेशन हो या अन्य कोई भी संस्था हो अगर वह गवर्नमेन्ट के अधीन होगी तो उन लोगों के साथ यह ज्यादाती होगी कि वे प्राइम मिनिस्टर की इन्क्वायरी करे या किसी मिनिस्टर की इन्क्वायरी करें। मैं समझता हूँ कि वे ऐसी इन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं। उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अथोरिटी का प्रावधान किया है। वह

एक स्वतंत्र संस्था होगी और केवल लोकपाल के प्रति आनसरेबल होगी। लोकपाल के प्रति ही उसका उत्तरदायित्व होगा। गवर्नमेन्ट के डिसिप्लिन और कंट्रोल के अधीन वह एजेंसी नहीं होगी। यह चौथा विषय इस बिल में हमने रखा है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और अपनी शिकायत भेज सकता है। एक फार्म होगा, उसके मुताबिक शिकायत होगी। एक हजार रुपये जमानत के रूप में देने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि एक हजार रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक हजार रुपये जमानत के रूप में रखने का भ्रंशा यह है कि कोई भी आदमी फ्रिबलर्स और चलती-चलाती शिकायत न कर सके। जो भी शिकायत हो वह सीरियसनेस के साथ, संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ लोकपाल के सामने रखी जाय।

इसके साथ ही यह बात भी इस बिल में रखी गई है कि अगर किसी विशेष शिकायत को विशेष रूप से देखने की जरूरत हो तो स्पेशियल लोकपाल भी अपाइन्ट किया जा सकता है। स्पेशियल लोकपाल के ठीक वही राइट्स होंगे जो कि लोकपाल के हैं। लोकपाल का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत का काम होगा। वह देश का बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी होगा। ऐसा होगा जो सब के आदर का पात्र होगा। पिछले बिल में यह बात थी कि इसकी अपाइन्टमेन्ट प्रेजीडेन्ट करेगा। लेकिन हमने लीडर आफ दी अपोजीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशिवरा करके प्राइम मिनिस्टर शब्द को निकाल दिया है और विपक्ष के नेता को भी निकाल दिया है। इसमें हमने स्पीकर और चेयरमैन को रखा है। लोक सभा के स्पीकर और राज्य सभा के चेयरमैन तथा चीफ जस्टिस से मशिवरा करके प्रेजीडेन्ट इसको अपाइन्ट करेंगे। आप जानते हैं कि स्पीकर और स्पीकर चेयरमैन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे हाउस को

[श्री चरण सिंह]

रिप्रेजेंट करते हैं। उनका किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता है। मुझे को मालूम है कि लोक सभा या राज्य सभा में यह आवाज उठाई गई थी कि लीडर आफ दी अपोजीशन को भी इसमें शामिल किया जाये। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि लीडर आफ दी गवर्नमेन्ट को इसमें नहीं रखा गया है। हमने लीडर आफ दी हाउस या लीडर आफ दी अपोजीशन को नहीं रखा है बल्कि स्पीकर को रखा है।

श्रीमन्, लोकपाल अपना तहकीकात करने के बाद अपने निर्णय से कम्पिटेन्ट अथोरिटी को सूचित करेगा। कम्पिटेन्ट अथोरिटी प्राइम मिनिस्टर होंगे और शायद चीफ मिनिस्टर के लिए भी कम्पिटेन्ट अथोरिटी कोई और है, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है। जैसा मैंने कहा, मिनिस्टरों के लिए और मेम्बर पार्लियामेन्ट के लिए कम्पिटेन्ट अथोरिटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। वे तीन महीने के अन्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्शन लेंगे। अगर वे तीन महीने के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर लोकपाल को यह अधिकार होगा कि उनका जो वरडिक्ट है उसको वे प्रेजीडेन्ट के पास भेजें और पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों में उस निर्णय को रखें या उसका प्रबन्ध करें ताकि जनता को यह मालूम हो जाये कि उन्होंने क्या वरडिक्ट दिया है। इस बिल के बारे में मैंने यह मोटी-सी बातें बताई हैं। मैं फिर इनकी तफशील में जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी जगहों पर करप्शन कमोवेश रूप से अपनी असाधारण सीमा तक पहुंच गया है और उसका नतीजा यह हो गया कि देश के गौरव को संसार में बहुत हानि पहुंची है और यह ईमानदारों का मुल्क नहीं माना जाता है। पोलिटिकल करप्शन पहले मिटे और तब अन्य प्रकार का करप्शन मिटे। यह हमारी धारणा है।

पोलिटिकल करप्शन अगर नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन की बहुत थोड़ी सीमायें होंगी, लिमिटेड होंगी, लिमिटेड होंगी। लेकिन अगर पोलिटिकल करप्शन रहता है और इस लेवल के लोग ईमानदार नहीं हैं और उन में जनता का विश्वास नहीं है तो ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाने का कोई सवाल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन भी लोयस्ट लेवल पर चलेगा। एक पुरानी कहावत बड़ी अच्छी है। जिसका अर्थ यह है कि सर्वसाधारण उस रास्ते पर चलता है, जिस पर महाजन चलते हैं, जिस पर बड़े-ब्रादमी चलते हैं। जिनके हाथ में पोलिटिकल पावर है, उनका हमारी सोसायटी में सबसे बड़ा स्थान रहता है। यह करप्शन ऊपर से नीचे को आता है, जैसे व्याग, तपस्या और बलिदान की भावनायें ऊपर से नीचे को आती हैं, ट्रिपल डाउन करता है, इसी प्रकार भ्रष्टाचार भी है। क्योंकि यदि कांस्टेबल बेईमान है लेखपाल और तहसोलदार बेईमान है, लिहाजा कलक्टर भी बेईमान हो जाये, ऐसा नहीं। परन्तु क्योंकि कलक्टर बेईमान है तो यह आशंका हो सकती है कि तहसोलदार बेईमान हो जाये। तो इसके लिये अगर हमें देश में करप्शन को मिटाना है तो हमें कुल्हाड़ी जड़ पर चलानी है और वह जड़ है पोलिटिकल लीडरशिप। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे पोलिटिकल लीडर्स इस तरह के हों, वे चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, कि जब वे जनता के सामने आये, जनता के सामने उनका नाम आये, तो उनके प्रति आदर की भावना जनता के मन में हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यह बात देखने में नहीं आती। मैं इसके कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह निर्विवाद है कि आज की पोलिटिकल लीडरशिप में लोगों को कान्फिडेंस और रेस्पेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी वह समय आये जब कि पोलिटिकल करप्शन हमारे देश से हटे और फिर धीरे-धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी हटे। देश विकास तभी

करेगा । कितने कर्ज लिये जायें, कितने लोन लिये जायें, कितने फोरेन कालोवोरेशन किये जायें, टेक्स कितने लगाये जायें, कौन सी एकानामिक पालिसी ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है, कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, इसमें हमेशा मतभेद रहता है । लेकिन सर्वसाधारण के लिये एकानामिक पालिसी फ्रेम की जा सकती है । लेकिन मैं कहता हूँ कि मुल्क तब तक नहीं उठेगा जब तक कि हमारी इनकरेस्टेबल लीडरशिप नहीं होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना रेजॉल्यूशन पेश करता हूँ ।

SHRI BHUPESH GUPTA: What is the proposal with regard to officials?

श्री भरण सिंह : वह इसमें नहीं है, उसके लिये अलग होगा ।

The question was proposed.

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : Sir, I am on a point of information. In terms of the Motion, 15 Members are to be taken up on this Joint Committee. The names of the Members have not been given to us beforehand. The names have now been read out by the hon. Home Minister. Sir, it is a very important Bill as has just now been stated by the hon. Home Minister. We expected that in this Bill, representation will be given to all political groups. In our House, there are major political groups and small political parties as well. But, Sir, as I understand, in these names of 15 people, representation has been given to the Congress, the Janata, the CPI, the All India Anna DMK and the DMK. Sir, in this House there are other political parties also. They are: the CPM, the Muslim League, the PWP....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member should have taken it up

with the parties at an earlier stage. This is not the stage to take it up.

SHRI N. H. KUMBHARE: There is the BKD, the Republican Party and the Jarkhand Party. We have Mr. Mchan Singh Oberai, a Member of the BKD. And we have Mrs. Jahanara Jaipal Singh. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right. You have made your point. Now, Shri Shyam Lal Yadav.

SHRI N. H. KUMBHARE: I would like to know, Sir, what the criterion or the consideration was in deciding these 15 Members. This is a small information which I would like to have from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shyam Lal Yadav.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, the same problem arose in the other House and the Speaker intervened in the matter. Therefore, Sir, we want your help. I think what he has said is very right because there are some groups which had been completely left out. It is not fair. Sir, the number is 15. Sir, adjustments can be made or the number can be increased, as the Home Minister did in the other House. I fully support the point of view which has been expressed by my hon. friend here. I think, Sir, we have normally followed the practice that when a Select Committee or a Joint Select Committee is constituted, we take into account that all the different shades of opinion are represented on that Committee and do not think only in terms of numbers. I would like the Home Minister to consider this point and I would also like to have an assurance from him about the time when we would have the Lok Ayukta Bill ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not raise other matters.

SHRI BHUPESH GUPTA: because officers are also involved.

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, हमने तो यह कोशिश की है कि सभी पार्टियों के नुमाइंदे इसमें रखे जाएं। सी० पी० आई० एम० के दो सदस्य लोक सभा से इस कमेटी में हैं लिहाजा यहां से सी० पी० आई० एम० का कोई सदस्य नहीं रखा जा सकता। बाकी तो कोई पार्टी ऐसी नहीं रह गई है जिसके तीन-चार मेम्बर हों और वे रह गये हों। यहां तक हमने कोशिश की है कि 45 सदस्य होने चाहिएं। कल गालिवन सी० पी० आई० या अन्ना० डी० एम० के० के जो सज्जन रखे गए थे उन्होंने लेटर लिख दिया उनका रेजोल्यूशन पास हो गया कि किसी और मेम्बर को रखा जाए वह नाम हमने शामिल कर दिया था। उनका विचार दोबारा हुआ। उन्होंने अपना नाम वापिस ले कर दूसरे का सज्जस्ट किया कि वह नाम उसमें रखा जाए परन्तु वह अब नहीं रख सकते थे क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो चुका था। इसलिए 45 के बजाये 44 सदस्य रह गए। इसमें 21 सदस्य जनता पार्टी के हैं और 23 विरोध पक्ष के हैं। हमने मेजोरिटी का नियम इसमें रखा ही नहीं। हम यह भी रख सकते थे कि जनता पार्टी की इसमें मेजोरिटी हो ताकि कल को जुआइंट कमेटी में कोई विवाद हो तो आसानी से सुलझा सकें।

श्री एन० एच० कुम्भारे : यह बात हम नहीं कर रहे हैं।

(Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Mr. Kumbhare, you have had your say.

श्री चरण सिंह : आप लोग नहीं कह रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि 21 सदस्य जनता पार्टी के रह गए हैं और 23 दूसरी पार्टी के हैं। अब इसमें कांग्रेस के जरूर पांच छः होंगे। अगर कोई अपना नाम वापिस ले कर किसी और का नाम देना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह लिस्ट मशविरों के साथ ही तय हुई है। यह

हो सकता है कि माननीय मित्र से मशविरा न हुआ हो। जो नाम मैंने लिए हैं इसमें तीन आदमी जनता पार्टी के हैं। मैं उनका नाम बिना उनसे पूछे वापिस ले सकता था। नाम तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अब फिर क्या पढ़ना ?

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, लोकपाल विधेयक माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसकी भावना का हम सभी तथा सारा देश स्वागत करता है। इस विधेयक का प्रथमसनीय उद्देश्य उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना कहा गया है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के अन्त में भ्रष्टाचार के फैलाव पर गहराई पर अपने विचार प्रकट किये। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है।

[The Vice-Chairman (Shri U. K. Lakshmana Gowda) in the Chair.]

सभी जानते हैं आज हमारे समाज में अपनी कुशल क्षेम जब पूछते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, हाउ डू यू डू पूछते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर की जाती है। कितना वेतन मिलता है। इतना ही वेतन है या और कोई ऊपर की आमदनी भी है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, भ्रष्टाचार के द्वारा सम्पत्ति जो इकट्ठी करते हैं उनके प्रति समाज में घृणा की भावना नहीं है बल्कि समाज में जो इस प्रकार सम्पत्ति अर्जित करते हैं, उस सम्पत्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, समाज में उनको कोई अनादर की दृष्टि से नहीं देखता है। जब तक हम इस प्रकार के समाज को नहीं बदलते ऐसे भ्रष्टाचार के प्रति घृणा की भावना नहीं बन सकती, केवल अधिनियम के जरिये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन

यह प्रभाव होना चाहिए, उस सांघाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके तो बहुत अच्छा होगा। यह कानून के जरिये नहीं हो सकता। जिस क्षेत्र में यह कानून बनाया जा रहा है, प्रशंसनीय है। मैंने शुरू में कहा कि ऐसा होना चाहिए। मान्यवर, गृहमंत्री ने स्वयं कहा कि एडमिनिस्ट्रिव रिफार्मन कमिशन के सिफारिशों पर 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत हुआ था। यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास गया था। उसकी रिपोर्ट आई, विचार हुआ और वह संसद से स्वीकृत नहीं हो सका। फिर 1971 में वैसे ही विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और वह विधेयक भी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो सका। लेकिन ओ मूल परिवर्तन वर्तमान विधेयक में, 1971 के विधेयक में या उसके पूर्व के विधेयक के संबंध में जाहिर होते हैं मैं उस संबंध में अपना विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ।

पहली बात कि कौन कौन से लोग इस विधेयक को परिधि के अन्तर्गत आवेंगे और कहां तक विधेयक का अधिकार क्षेत्र होगा? पहले विधेयकों में मान्यवर मंत्रीगण रखे गये थे लेकिन प्रधान मंत्री नहीं रखा गया था। इस विधेयक में प्रधान मंत्री रखा गया है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है उस विधेयक में वह यह है कि इसकी परिधि में संसद सदस्यों और जो यूनियन टैरीटरीज या जो लेजिस्लेटिव असेम्बलीज के सदस्य हैं उनको भी रखा गया है मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की सीमा को इस हद तक ले जाना बहुत मुनासिब नहीं है। क्योंकि मान्यवर, हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि संसद अथवा विधान सभा के सदस्य किसी अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, कोई एक्जीक्यूटिव पावर उनके पास नहीं है। आम तौर पर हम लोग संसद में विचार करते हैं और संसद के बाहर केवल लोगों की सिफारिशों चिट्ठियों

मंत्रियों तक भी भेज देते हैं या अधिकारियों को भेज देते हैं और अधिकारी उस पर नियमानुसार फैसला करते हैं। इससे अधिक अधिकार संसद सदस्यों का नहीं है। लेकिन यहां पर जो अन्वचार या मिस कन्डक्ट के संबंध में जांच पड़ताल करने की बात कही गयी है, मेरी समझ में यह कोई सख्त परिभाषा नहीं है यह बहुत लम्बी चौड़ी परिभाषा हो जाती है और शायद सदन के अन्दर भी जो सदस्य कुछ कहेंगे वह भी उस परिभाषा के अन्दर आ सकता है, मैं इस तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ : खंड ३ का (ब) है

"If he abuses or attempts to abuse his position as such public man to cause harm or undue hardship to any other person;"

संसद के अन्दर या सदन के बाहर हम मेम्बर पार्लियामेन्ट कोई प्रश्न उठाते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का हो या साधारण नागरिक हो या कोई सरकारी अधिकारी हो, उसकी कोई हानि हो सकती तो, नुकसान पहुंचाया जा सकता हो तो इस संबंध में खंड के इस उपखंड के अन्तर्गत वह बात आ सकती है। तो इस प्रकार सदस्यों को निष्पक्षता के साथ, निर्भयता के साथ अपने कार्यों का सम्पादन करना नामुमकिन हो जायगा। अतएव मेरा सुझाव था कि दोनों सदनों की सिलेक्ट ज्वॉइंट कमेटी इस बात पर विचार करेगी, गौर करेगी कि यह कहां तक मुनासिब है कि संसद सदस्यों को और विधान सभा के सदस्यों को इसमें रखा जाय। मान्यवर सदन के माध्यम से कमेटी बनायी जा सकती है ताकि उनके कन्डक्ट को सेंसर किया जा सके और रोका भी जा सके। कोई स्पेसिफिक ऑफेंस अगर होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। पीछे ऐसा हुआ भी था। इसमें कोई रुकावट नहीं है।

[श्री प्रयास लाल यादव]

दूसरी बात मान्यवर, जो परिभाषायें यहाँ दी गयी हैं अवचार की, मिस कन्डकट की वह परिभाषायें लचीली हैं उनका व्यापक अर्थ लगाया जा सकता है उससे अनर्थ हो सकता है और कोई भी कार्य उस अवचार में, मिस कन्डकट में आ सकता है। जैसा कि मान्यवर, खंड 3 के उप खंड 1 ए में कहा गया है :

"If he is actuated in the discharge of his functions as such public man by motives of personal interest or other improper or corrupt motives;"

अब इम्प्रोपर किसी के विचार में कुछ होता है दूसरे के विचार में दूसरा कुछ हो सकता है। तो इम्प्रोपर कहां से शुभ होता है कहां खत्म होता है, उस की सीमा नहीं हो सकती। यह बहुत लचीला प्रश्न है। इसलिये मैं समझता हूँ पुराने विधेयक में जो शब्द रखा गया था - ऐक्शन माल एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि उसमें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रावधान था इसलिये माल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। अब इस में नहीं भी है तो खंड 7 में जो परिभाषा 1971 के विधेयक में दी गई है समझता हूँ वह ज्यादा उचित ज्यादा स्पष्ट परिभाषा है, उसमें किसी तरह गुमराह करने की चेष्टा नहीं होती है, लचीली परिभाषा भी नहीं होगी इसलिये अगर इस पर जोईन्ट कमेटी और गृह मंत्री महोदय विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी परिभाषा त की जाये जिससे शिकायतों का अम्बार लग जाये और किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुँच सके।

मान्यवर, यह बात सही है कि सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था और हमारे वर्तमान गृह मंत्री आज इस प्रयास के जरिये यह कोशिश कर रहे हैं कि देश की राज-

नीति में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसको समाप्त किया जाये; इस के लिये मैं उन की प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने पहले भी उत्तर प्रदेश में जब वे मुख्य मंत्री थे उस समय भी एक पब्लिक मेन्स ईन्क्वायरी आर्डिनेन्स निकाला था। मेरे ख्याल में उसकी बहुत सी धारयें यहाँ पर रखी गई होंगी, मैंने मिलान तो नहीं किया, लेकिन शायद रखी गई है।

अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि इसमें जो अधिकारी रखा गया मिनिस्टर्स के लिये, चीफ मिनिस्टर के लिये-तो प्राईम मिनिस्टर है जिसके सामने शिकायतें जायेंगी और रिपोर्ट जायेगी-लेकिन जो संसद सदस्य हैं उनके लिये कौन होगा अधिकारी, यह इस विधेयक में नहीं लिखा गया है। यह सवाल बाद में तय करेंगे कौन अधिकारी होगा, यह मुनासिब बात नहीं है। यह स्पष्ट होता चाहिये कौन अधिकारी है जिसके सम्मुख शिकायतें जा सकती हैं या जिसके सामने लोकपाल की रिपोर्ट जायेगी। यह बात विधेयक में कहीं दिखायी नहीं देती। अगर सरकार ने यह अधिकार अपने में ले रखा है तो यह मुनासिब बात नहीं है। अगर अपने किसी सेक्रेटरी को या अधिकारी को वह अधिकारी बनाते हैं तो मैं समझता हूँ यह मुनासिब बात नहीं होगी।

इसके अलावा बहुत अधिक डेलीगेटेड पावर्स, लेजिस्लेशन की बहुत सी बातें रखी गई हैं। बहुत से ऐसे पावर्स हैं जो डेलीगेटेड किये जा सकते हैं जब प्राईम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और संसद सदस्यों के बारे में एक जनतंत्रीय और सर्वोच्च संस्था संसद इस देश में है, तो उस के विपरीत कोई अधिकारी जाँच करने की पावर लेता है, उसके लिये कोई इस प्रकार का विधेयक बनाया जाता है, तो मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसी वैधानिक

धमवस्था नहीं होनी चाहिये वरना मनमानी ढंग से एग्जीक्यूटिव्ह देश के राजतंत्र पर हावी हो जायेगा।

मान्यवर, दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूँ खंड 3 में परिभाषा है :

"If he directly or indirectly allows his position as such public man to be taken advantage of by any of his relatives or associates-...."

तो शब्द "रिलेटिव असोशियेट" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसका अर्थ जहाँ तक जो चाहे खींच ले और हमारे देश में जहाँ जातीयता नहीं गई है, हर व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति को उसका रिलेटिव्ह साबित करते जायेंगे हर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ मेम्बर जो है उस के क्षेत्र के पांच दस लाख निवासी होते हैं और हर आदमी उस का एसोसियेट हो जायेगा। इसका इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र बनाया गया है। मैं समझता हूँ इस की भी परिभाषा होनी चाहिये यह शब्द बिलकुल लचीला है। मान्यवर, गृह मंत्री जी ने तो अन्तरजातीय विवाह किया है; अपनी बेटों का विवाह दूसरी जात में किया, अपनी नातिनी का विवाह दूसरी जात में किया है। लेकिन आम तौर से लोग जातियों में बंधे हुए हैं। इस लिये अगर नातेदार रखा गया तो मंत्री का नातेदार हो—न भी हो तो भी नातेदार कह कर आरोप लगा दिया जायेगा। संभव है कि भ्रष्टाचार के नाम पर हम यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को एक पावर और देने जा रहे हैं जिसमें हर राजनीतिक को आसानी से लटकाया जा सकता है। वह आसानी से नहीं बच सकता है। (Time bell rings) मान्यवर, अभी जरा सा और समय मुझे दें। अब एक बात और कहूँ कि लोकपाल की नियुक्ति के प्रश्न पर मुझे बहुत गहरा मतभेद है।

4 P.M.

राष्ट्रपति उस की नियुक्ति करेंगे अभी 42 वाँ संशोधन हुआ और अभी 9 राज्यों की विधान सभाओं को भंग करने का राष्ट्रपति को अधिकार है या नहीं इस पर गृह मंत्री जी का बयान भी निकला है। यहाँ राष्ट्रपति का मतलब है तत्कालीन भारत सरकार। राष्ट्रपति जिस की नियुक्ति करेंगे, मतलब यह है कि कैबिनेट या प्रधान मंत्री जिस की नियुक्ति करेंगे। अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने इस में सलाह मशविरे से प्रधान मंत्री को अलग रखा है, लेकिन यह बात वास्तविकता से परे है। प्रधान मंत्री को ही वास्तव में अधिकार होगा लोकपाल की नियुक्ति करने का, क्योंकि राष्ट्रपति उसी कागज पर दस्तखत करेगा जो प्रधान मंत्री जी के थू जायेगा। राष्ट्रपति स्वविवेक से अपनी मर्जी से किसी लोकपाल को नियुक्त नहीं कर सकता। इस लिये जब प्रधान मंत्री को अख्तियार है ही तो फिर क्या नयी परम्परा स्थापित की गयी। इस में शब्द है :

After consultation with the Chief Justice of India, the Speaker and the Chairman. ...

मैं निवेदन करूँगा कि इस के भायने क्या है। यही शब्द पिछले विधेयक में भी रखे गये थे। आफ्टर कंसल्टेशन का मतलब यह होता है कि उस कंसल्टेशन की कोई बाध्यता नहीं है। अगर बर्ड होते 'इन कंसल्टेशन विद' तो बात दूसरी होती। इस प्रकार के हाई कोर्ट्स के फैसले हैं और हाईकोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस बर्डे हुए हैं वे इस बात को ज्यादा साफ कर सकेंगे। बर्डस 'इन कंसल्टेशन विद' होने से मतलब होता है कि उस सलाह मशविरे की बाध्यता होती और आफ्टर कंसल्टेशन का मतलब यह है कि उस की कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने अपनी सलाह दे दी। सरकार

[श्री श्याम लाल यादव]

उसे माने या न माने और जैसे चाहे लोकपाल नियुक्त कर दे। वह कह देगी कि हमने सलाह ले ली। उसे मानने के लिये हम बाध्य नहीं हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि लोकपाल नियुक्त करने के लिये वर्ड्स 'इन कंसल्टेशन विद' होने चाहियें और चीफ जस्टिस, स्पीकर और चेयरमैन के साथ साथ लीडर आफ दि अपोजिशन जरूर रखे जायें क्योंकि प्रधान मंत्री तो उन की नियुक्ति करेगा ही। उस को सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर बाहर का कोई आदमी नियुक्ति करता तो प्रधान मंत्री की सलाह की जरूरत थी। लेकिन उस को तो यह करना ही है। वरहे या नहीं इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि विरोधी दल के नेताओं को होना चाहिये। पिछले विधेयक में यह व्यवस्था थी कि अगर कोई संगठित विपक्ष न हो सदन में तो सारे विपक्ष के दल इकट्ठा हो कर इस सलाह को देने के लिये किसी एक आदमी को चुन सकते थे। आज एक संगठित विरोधी दल है इस लिये मेरा निवेदन है कि लोकपाल की नियुक्ति निष्पक्ष तौर पर हो सके, देश का विश्वास उस में हो सके कि ऐसा व्यक्ति चुना गया है कि जिस पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है, जो सरकार का दास नहीं है, अपने स्वार्थों के लिये सरकार को सेवा नहीं करता है, तो अच्छा होगा कि इस के लिये दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं की सलाह ली जानी चाहिये और उस सलाह की बाध्यता होनी चाहिये। जैसा कि मैंने निवेदन किया उस पर, मेरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी और सेलेक्ट कमेटी भी विचार करेगी।

अब एक बात आती है स्टाफ के लिये। एक मुझाव मेरा था कि पार्लियामेंट की जो दो सभायें हैं — लोक सभा और

राज्य सभा—उन के स्टाफ आज निष्पक्षता और निष्ठा के साथ सेवा करता है और यह बात सब को विदित है। मेरा मुझाव है कि इस लोकपाल आफिस के लिये भी ऐसा ही स्टाफ हो और ऐसे ही लोग नियुक्त किये जायें और उन का दफतर भी पार्लियामेंट के साथ हो और वे सरकारी कार्यालयों से दूर रहें। सरकार के तंत्र से दूर रहे ताकि उन पर लोगों को विश्वास हो सके और इस लोकपाल की रिपोर्ट सदन के दोनों सदनों के सामने रखी जाये ताकि सदन उस पर कोई फैसला कर सके। उस को प्रेस्काइड्ड अथारिटी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। उस पर प्रेस्काइड्ड अथारिटी कोई फैसला करे यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, एक बात और कना चाहता हूँ कि यानि पीनल ऐक्ट होगा। तो उसका असर रिट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रास्पेक्टिव होगा। परम्परा यह है कि यह पीनल ऐक्ट है इसलिये इसका असर प्रास्पेक्टिव होना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता और इसमें खण्ड दो के (ई) में कहा गया है कि :

"Misconduct" means misconduct (whether committed before or after the commencement of this Act...)

यह मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी जादती होगी। मेरा मुझाव है कि आफ्टर दि कमंसमेंट आफ दिस ऐक्ट जो मिसकंडक्ट है उस पर लोकपाल द्वारा जांच होनी चाहिए। जब लोकपाल नियुक्त था ही नहीं तो उसके पूर्व यह पीनल ऐक्शन नहीं होना चाहिए। और मान्यवर, इस की भिदाद क्या है, शिकायत करने की। इसकी कोई भिदाद नहीं रखी गयी। वह गत पांच वर्ष की शिकायतों को देख सकता है। पहले उन्होंने एक साल की भिदाद रखी थी। मेरा मुझाव यह है कि जब शिकायत हो तो मिसकंडक्ट की बात जब किसी के ज्ञान में आवे उस तारीख से 6 महीने के अन्दर उसकी शिकायत की जा सकती है। अगर

इसके लिये पांच वर्ष की मियाद रख दी जाती है तो पांच वर्ष तक जो एक बार मन्त्री बन चुका उसके बाद भी उसकी नींद खराब रहती है कि कहीं मेरी कोई शिकायत न कर दे। पीनल जस्टिस का यह कोई कायदा नहीं है और इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए। तो मेरा मुझाव था कि 6 महीने की मियाद नियत की जाए। जबकि मिसकंडक्ट की जानकारी हो उसके 6 महीने के अन्दर शिकायत की जानी चाहिए।

मान्यवर, जनता सरकार न्यायालयों पर विश्वास करती है, उसकी स्वतन्त्रता पर विश्वास करती है, उसकी निष्पक्षता पर विश्वास करती है, निष्ठा रखती है तो क्या कारण है कि इस विधेयक के द्वारा न्यायालय के दरवाजे लोगों के लिए बन्द किये जा रहे हैं। दूसरे लोग जो न्यायपालिका को निष्पक्ष नहीं मानते, वह बन्द कर दें तो ठीक था, लेकिन जब जनता पार्टी न्यायालय की निष्पक्षता पर विश्वास करती है तो कोई औचित्य नहीं, कोई कारण नहीं है और उनको कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है कि न्यायालय का दरवाजा, इस कानून को चैलेंज करने के लिए, इस कानून के अन्दर राहत लेने के लिए बन्द कर दिया जाए। यह एक नया तानाशाही विचार होगा और जम्हूरियत के तरीके पर कुठाराघात होगा। इसलिए मैं फिर कृपा चाहता हूँ कि जनता पार्टी उस तरीके पर न चले।

(Time bell rings.)

मान्यवर, एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। इस बिल के लिए क्या प्रोसीजर हो। इसमें सिविल प्रोसीजर कोड कहा गया है। इसमें श्रीमन् क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एक्ट्स एक्ट लागू होना चाहिए नहीं तो शहादत कैसे होगी, किस बात की होगी। सुनी-सुनाई बातों पर लोग कहें तो यह जरूरी है कि इंडियन एक्ट्स एक्ट लागू होना चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

लागू हो। कोई आरोप गलत सिद्ध होगा तो क्या सजा होगी? पब्लिक मैन की इज्जत, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा धार के पानी के समान है और वह पानी फिर गया तो मामला साफ हो गया। अगर शिकायत गलत हो गई तो क्या होगा? एक हजार रुपये जमा करना मुश्किल नहीं, कोई भी किसी के खिलाफ जमा करा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या प्रतिबन्ध होना चाहिए। होना यह चाहिए कि अगर शिकायत गलत होगी तो लोकपाल को ही एक कोर्ट का रूप दिया जाए कि उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की है, उसे सजा दी जा सके ताकि हर आदमी को यह भय पैदा हो कि अगर शिकायत गलत साबित हो गई तो य लोकपाल स्वयं कोर्ट बन कर हमारे खिलाफ सजा कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हर आदमी एक हजार रुपया जमा कर देगा तो उस राजनीतिक आदमी की तो जिन्दगी बरबाद हो गई। इसलिए मेरा मुझाव था कि इसमें य प्राविजन जरूर होना चाहिए।

आखिरी बात कह कर खत्म कर रहा हूँ। ओमबड्समैन की जो बात कहते हैं और देशों में है, हमारे देश में यह नहीं हो सकता। क्योंकि यह बिल तो राजनीतियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। जो दूसरे कर्मचारी हैं, पहले के विधेयक में सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, तमाम लोगों के ऊपर जांच का काम उसी के सुपुर्द था, लेकिन इस विधेयक में उसको नहीं रखा गया। अभी गृह मन्त्री जी ने कहा कि वे अलग से इसका विधेयक ला रहे हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे लायेंगे क्योंकि जो विजिलेंस कमिश्नर हैं उनके जरिये कोई जांच हो नहीं रही है और न जांच होकर उसका कोई फैसला होता है क्योंकि सभी अधिकारी मिल कर एक दूसरे को ठीक कर लेते हैं और वे आदमी निर्दोष बरी हो जाते हैं।

[श्री श्याम लाल यादव]

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि गृह मन्त्री जो जो एक स्वागत योग्य विधेयक लाये हैं उसको देखते हुए, उसकी भावनाओं को देखते हुए इस प्रकार से इसको ज्वायंट कमेटी में बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे इसमें राजनीतियों की चरित्र हत्या न हो, उनका राजनीतिक जीवन कष्टमय न हो जाए और हमेशा उनके ऊपर तलवार को धार न लटकी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI K. B. ASTHANA (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, in the 30-year history of Indian Parliament, I think this is one legislative measure which cannot afford to tolerate political difference. I hope this legislative measure will be welcomed by all sections of the House irrespective of their party affiliations, and I am sure each one of us sitting here has the will and the desire to remove all vestiges of corruption from the Administration.

Corruption, as you know, is of many forms. It comes before us in many shapes. It comes before us dressed in Many colours in different attires. I remember a line of one of my friends, a well known Urdu poet who has now started writing poems in Hindi also—a mixture of Hindi and Urdu. He says:

किसको पारी कहें जगत में,
किस किस को दोषी ठहराएँ,
सभी के मन ऐसे चंचल हैं,
सुन्दर छवि देखें ललचाएँ ।

No man or woman can be said to be above the allure of political temptation. The price differs, the shades differ. If anyone claims to be above allurements and temptations, well. I would say he is a God.

The purpose and object of this measure is not that it will raise the spiritual level of the persons who are connected with the Administration. The

purpose is that each one of us who is connected with the administration of this great country at least must remain honest as far as the political thinking is concerned and the action based thereon is consistent with the laws and the Constitution under which we have taken an oath. It is a matter for congratulations for the Janata Party Government that a measure of this nature has been introduced in the Houses of Parliament—a measure which will at once satisfy the sentiments and expectations of the people. For almost over one and a half decades there has been a political and social controversy on this and I appreciate what the Home Minister has said that corruption, not necessarily monetary in nature but of many other types, creeps into the body politic from the highest. I welcome a measure in this Bill that the highest *de facto* Executive of the land, namely, the Prime Minister, has also been brought in as a subject. This is a great improvement upon the proposed scheme in the previous Bill which lapsed, as you know. I am not in agreement with my hon. friend Mr. Shyamlal Yadav that Members of Parliament should not be included as a subject in this Bill, for he says that Members of Parliament do not perform any executive or administrative functions. I know it. They perform what you call deliberative functions. But, as parliamentary democracy works, there can be spheres and areas where the Members of Parliament play a role in controlling the executive actions or the administrative actions. I, fortunately—or, unfortunately, I could even say- have been out of active politics for the best part of my life. Up to 1956 I was in the thick of it. I left it when I became a Standing Counsel to the Government and then for 16-17 years I remained a Judge. So I have been mostly out of it after Independence. But it is unfortunate, as I have not been out of touch of social and political circles as a citizen. I heard so many things. Has it not been said that the Members of Parliament as legislators have started charging fees for putting Starred Questions? Has it not been said that

they have been charging fees for making recommendations and even for arranging meetings with the Ministers? Now, this is a corruption I should say. This is its lowest form. For, anybody who wants to have a kind of information which he cannot get or wants to pull the legs of any officer or of any Minister or even of another Member of the House, comes, pays the fees and a starred question is put. So, you cannot say that there is no abuse by Members of the Legislatures. I hope in this House none of us belongs to that miserable class. I hope none in the Indian Parliament belongs to it, and I hope none in the Legislatures of the States. But, nonetheless, there is an impression in the public mind. As we know, there is a proverb that there cannot be fire unless there is some smoke.

AN HON. MEMBER It is not correct.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I think he meant that there cannot be fire without smoke.

SHRI K. B. ASTHANA: Yes, what I say is that I believe in the intelligence of the common man for they have sound common sense. They will not say anything unless there has been one or two instances. So, I believe that making a Member of Parliament also subject to the jurisdiction of the Lok Pal is a step in the right direction. My friend, Shri Shyam Lal Yadav, has made other points which, to my mind, do require serious consideration, and they are very valuable ones. I am glad that he has pointed them out. He has been a lawyer throughout his life and he has made a very good study of the Act. But I must compliment the draftsman of this Act. It is one legislative measure—after a long time I have seen—which is almost perfect in its phraseology. Many of the phrases which my friend, Shri Shyam Lal Yadav thought to be vague, are not so. For those are the very words we find in the Indian Penal Code and the Pre.

vention of Corruption Act, and the courts have not found any difficulty in giving them a precise meaning. But, nonetheless, some doubts raised by him, I hope, will be considered by the Select Committee; they deserve consideration. The definitions may apparently appear to be vague. Conferring jurisdiction on Lokpal in widest terms is the very purpose of the Bill. For, if the Lok Pal is not given a wide power and his jurisdiction is narrowed and limited by words, then the whole purpose and the whole object of this Act would be frustrated for, after all, I must bring to the notice of the Members of the House that the Lok Pal is going to have a personality who will be not only be well-versed in law but would also be a man, if such a man be found out if we can, possessing spiritual and social values of the highest order. Just as it is said that the ultimate guarantee of justice is the wisdom of the judge, I would say that the ultimate guarantee of the real usefulness of this measure will be the wisdom of the Lokpal. The very purpose of this law, of this measure, demonstrates before us that it is the personality, the wisdom, the sagacity of the Lokpal which will make it useful. If the Lokpal is not wise, then I agree with my friend, Mr. Yadav, that this may become an instrument of the greatest tyranny. So, it is a very difficult choice which will befall the Government or the authorities who have to select the Lokpal." The very usefulness of this measure depends on it. So unless and until we find a man of that capacity and that calibre to head this great institution of Lokpal, I am afraid even if you put all the precision in the language, it will fail, for this is a measure which depends on the personality of one single person. And if we are able to find a man of that calibre, of that sagacity and of that wisdom, then there is nothing to be afraid of, and all the doubts raised in the mind of my friend will vanish. I appreciate the anxiety of my friend, Mr. Yadav and we have to give serious consideration to some of the points he has raised

[Shri K. B. Asthana] I agree with him that five years is too long a period. But I do not agree that six months should be the period. I hope a compromise will be arrived at. It may be 18 months or one year. Then another point which Mr. Yadav raised relates to the barring of the jurisdiction of the law courts. As far as our law goes, under article 226 whenever any tribunal of any kind sits within the jurisdiction of any High Court, any verdict given by such a tribunal can be questioned before that High Court. Now it is a matter of great importance whether the verdict of the Lokpal or of the Special Lokpals, as they would be appointed, can come up before the Delhi High Court because the Lokpal will always sit in Delhi. Some measure will have to be thought of as to how to eliminate that jurisdiction because it would be good that this jurisdiction is eliminated. I wonder how it would be done ultimately. Or, if it goes before a High Court what would be the limitations? That is a ticklish problem which the Joint Committee will have to seriously consider. Then it has been pointed out by Mr. Yadav that Indian Evidence Act and Criminal Procedure Code should also be applicable. I think there is not much difficulty in it, Civil Procedure Code has been mentioned there only for the purpose of defining the powers. In fact, you find in the Bill as proposed that it is for the Lokpal to lay down his own procedure. Indian Evidence Act is a very good law and it eliminates many kinds of evidence which only come for what you call witch hunting. But if it is limited to the Indian Evidence Act then some very useful information which you cannot give within the framework of that Act would not be available to the Lokpal. Therefore, serious thinking has to be done on that subject also. Then it was pointed out about penalties for false complaints. What is a false complaint? I think everyone who has been a lawyer knows the word "false" may sometimes mean a complaint where the complainant has

not been able to produce evidence. Why should a man suffer on account of that? I think the measure as it is at present contains sufficient safeguards.

With these words, Mr. Vice-Chairman, I welcome this Bill. After it has come back from the Joint Committee, it will be debated here and many important aspects would then be dealt with in greater detail. For the present this House should agree to the Motion which has been moved by the Home Minister and cooperate by sending its representatives to the Joint Committee.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman Sir, when it was announced a few days ago that the Lokpal Bill would be introduced during the present Session of Parliament the announcement raised high hopes in us that the Home Minister would come forward with a comprehensive Bill with a genuine desire to combat the problems posed by corruption at higher political levels. I am sorry to say that the Bill falls short of our expectation. But as the saying goes, it is better to have a blind uncle than to have none. Therefore, I welcome this Bill. Sir, there is not much scope for a debate in depth on the various provisions of this Bill because it is only a Motion for reference of *this* Bill to a Joint Committee. After the Clauses of this Bill are considered by the Joint Committee we will have enough scope to discuss this Bill Clause-by-Clause in depth. Therefore, I will not enter into the details of this Bill nor will I even speak at length on the defects and deficiencies that are obvious and noticeable in the provisions of the Bill. I personally feel that corruption is a disease which has been carried by the human society right from the days of creation. This corruption came along with Adam and Eve. You will kindly remember that during the days of Mahabharata when the descendants of the great king Bharata was ruling over this

land, the dispute between the Kau-ravas and Pandavas arose on the issue of corruption. It was the corrupt mind or desire to exercise power that led to the war between the Kauravas and the Pandavas. I do not want to cite instances. What I beg to submit is, if we really want to fight corruption, "then we have to go deeper, even to the formation of political parties. That is the basic thing. By bringing about a Bill or appointing a Lok Pal who has to submit a report, you cannot really remove corruption. We cannot make a superficial treatment of corruption. We have to go deeper. You will agree that in the very formation of political parties we allow corruption. By allowing people to jump from one party to another we allow corruption. After forming a political party, you try to capture political power by whatever means. This is one of the sources of corruption. Another source is the election system prevailing in the country. Every Member of this House knows that there is a limit on election expenditure to be incurred by every candidate. I do not want to challenge anybody. But I cannot put my hands on my chest and say that the candidates keep themselves within this limit prescribed by law. We all know how much expenditure is incurred by the candidates at the time of election. Leave alone election to the Parliament, even for election as a ward member in a panchayat, the candidate spends about Rs. 15,000 to Rs. 20,000. He makes a sort of investment and once he is elected, he tries to find out ways and means to get back the money.

Then, we have a mixed economic system which completely corrupts the whole society. If somebody has a refrigerator or moves about in a car or lives in conditions which are not desirable, then I also try to follow him. I try to do the same thing.

My point is, if we really want to fight corruption, by merely making a provision in the Lok Pal Bill you cannot remove it. Of course, it may

be just a palliative or it may be a populist approach and it may satisfy some people. But if there is a genuine desire to remove corruption, then the whole economic system has to change. When you find that more than 80 per cent of the people do not get a full meal, when you find that more than eighty per cent of the people are under-clothed and when you find that a majority of the people are underfed, do you expect that corruption will not be there? In fact, you find corruption -at what places? You find corruption in the big business houses and you find corruption in the industries and you find corruption amongst persons who carry on trade, domestic and foreign. These persons are connected with the persons in power and the persons in authority and they somehow try to influence these persons in authority to get their things done. Therefore, the problem of corruption has to be tackled at a different level and a basic approach has to be made towards this problem. We heard the other day—I do not want to name the Minister— how some Minister was reported to have accepted the proposal of some big business houses and this is how the definition of a large industrial house was sought to be changed by raising the limit from Rs. 20 crores to Rs. 50 crores. This is how it happens. I do not blame anybody and I do not blame any political party. The people try to influence us and they try to corrupt us and this problem would go only if the basic approach is proper. My view in this connection is that the basic approach should be to bring about a bold socio-economic transformation in the society. We must try to bring about a social order in which there is no inequality and we must try to bring about a social order in which everybody gets the basic minimum needs of life. Therefore, if you really want to approach the problem of corruption and if you want to eradicate it, your approach cannot be like this. But your approach must be a revolutionary approach, your approach must be a socialistic approach and your approach must be an approach whereby

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

you can give a fair deal to the poorest of the poor in this country. Of course, when you take such a measure, I welcome it, because, as I said at the very outset, it is better to have a blind uncle than to have none at all. It is in that background that I welcome this Bill. But I know that this Bill is not going to eradicate corruption really and it is not going to combat the problems posed by the phenomenon of corruption at the higher political levels.

One more thing, Sir, and I would then conclude. You might have noticed that the honourable Home Minister said that he has made an important departure in the present Bill by including within the purview of this Bill the Prime Minister also because the Prime Minister cannot be above law. Well, it has been well said. What a laudable proposition it is! But then, Sir, what is the pro-vision in the Bill? The Lokpal shall submit the report to the Prime Minister and the Prime Minister in turn will place it before the Council of Ministers and the Council of Ministers will decide whether they will act on the report or not. You know, Sir, that the Prime Minister appoints his own Council of Minister's; He nominates his own Council of Ministers, and so, he will be the person to decide whether the report submitted by the Lokpal will be accepted by him or not. Similarly, Sir, there are many defects and deficiencies in the Bill which have been pointed out by my friend, Shri Shyam Lal Yadav, also. As I said, Sir, this is not the stage at which we can go into the details of the Bill, the defects and the deficiencies of the Bill. I would like to submit that this Bill affirms part of our expectations and there is scope for much improvement in this Bill and I hope and trust that the Select Committee, to which this Bill is now being sent, will try to make improvements on this. Thank you, Sir.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, हम इस बिल के आशय और उद्देश्य का समर्थन करते हैं और इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव गृह मंत्री महोदय ने किया है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। जब हम समर्थन करते हैं तो हमको इस बात का कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है कि इस विधेयक से या लोकपाल की जो नई संस्था हम कायम करने जा रहे हैं उससे हमारे देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका अन्त हो जाएगा। हमें इस बात का कोई भ्रम नहीं है और इसलिए भ्रम नहीं है कि हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की उपज है और जब तक हमारे देश में पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली रहेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा और यदि हम भ्रष्टाचार को सही माने में निर्मूल करना चाहते हैं तो हमें इस पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली को समाप्त करना होगा, समाजवादी प्रणाली की स्थापना करनी पड़ेगी।

हम जानते हैं कि उधर माननीय सदस्य कहेंगे कि कम्युनिस्टों का यह राग है, हर बात का निदान खोजते हैं समाजवाद। हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह सिर्फ कम्युनिस्टों का राग नहीं है। अभी हमारे मित्र नन्दा जी कुछ पुराण की चर्चा कर रहे थे। मान्यवर, महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शर शैल्या पर पड़े हुए थे तो युधिष्ठिर महाभारत के संहार को देखकर विचलित थे और जाकर के उन्होंने पूछा—पितामह, क्या यह युद्ध अनिवार्य था? क्या यह नर-संहार अनिवार्य था? तब भीष्म पितामह ने कहा—युधिष्ठिर, जब से इस समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति पैदा हुई, तभी से इस समाज में भेद पैदा हुआ, जब भेद पैदा हुआ तो राज पैदा हुआ। जब राज पैदा हुआ तो युद्ध पैदा हुआ। हम उसको अप-टु-डेट करना चाहते हैं कि जहाँ पर राज व्यक्तिगत मुनाफे के आधार पर हो वहाँ पर भ्रष्टाचार अनिवार्य

है। पिछले 15-20 सालों में जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के कांडों की जांच करने के लिए विभिन्न कमीशन बनाये गये हैं—वीविन बोस कमीशन बनाया गया, दास कमीशन बनाया गया, खन्ना कमीशन बनाया गया, छंगानी कमीशन बनाया गया, मुधोलकर कमीशन बनाया गया, अनेक कमीशन बनाये गये—इन तमाम कमीशनों का यदि हम ठीक ठीक सिंहावलोकन करें, उनकी फाईंडिंग को देखें तो हम कहां पहुंचते हैं, हम क्या पाते हैं। हम पाते हैं कि देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और देश के वे लोग जो कि शासक हैं इन दोनों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार, भयंकर से भयंकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम कमीशनों की जो फाईंडिंग हैं, उनसे यह अंदाजा हम निकालते हैं। तो हमारे देश में एक तरफ पूंजीवाद बढ़ेगा, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, इजारेदार घराने बढ़ेंगे और हम इस बात की इच्छा रखें कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़े तो दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती हैं। भ्रष्टाचार के दमन के लिए, भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए उस का जो यह स्रोत है बिग बिजनेस हाउसेज और शासकों की मिलीभगत का, इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। मगर फिर भी हम समझते हैं कि इस विधेयक से जिसको हम प्रवर समिति में भेज रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि इसके विभिन्न पहलुओं को ठीक से देखकर सरकार उसमें संशोधन करेगी।

मान्यवर, भ्रष्टाचार ने अनेक रूप और अनेक रंग अख्तियार कर लिये हैं। इतने रूप अख्तियार किये हैं, इतने रंग अख्तियार किये हैं जिनकी गणना मुश्किल है। लेकिन उनके रूप, उनके रंग को देख कर हमें आशंका है कि न जाने आने वाले चुनावों में इसके कौन से नये नये रूप और नये नये रंग होंगे। फिर हम समझते हैं कि एक हद तक

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यह विल मददगार होगा। लेकिन इस विल की सीमा बताते हुए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमने राजनैतिक भ्रष्टाचार को लिया है। यह बड़ी अच्छी बात है। इस मायने में यह अच्छी बात है कि अगर हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को ऊपर में समाप्त किया जाना चाहिए। बीच के लेवल से या नीचे के लेवल से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। यह एक अच्छी बात है कि इसमें प्रधान मंत्री को भी लिया गया है। लेकिन जैसा कि यादव जी ने कहा कि मान लीजिये प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार है तो लोकपाल के लिए यह अजीब स्थिति हो जाएगी कि वह प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार सिद्ध करे। हम समझते हैं कि प्रवर समिति इन सब पहलुओं पर बारीकी से विचार करेगी।

अब यह कहा जाता है कि लोकपाल अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके पास और एक्जीक्यूटिव के पास यह रिपोर्ट क्यों जानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि इन सब पहलुओं पर प्रवर समिति विचार करेगी। यह भी कहा गया है कि लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बर भी लोकपाल के क्षेत्र में आएं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के सदस्यों का क्षेत्र यह सदन में ही नहीं होता है बल्कि उनका क्षेत्र बाहर भी होता है। अभी एक सदस्य ने कहा कि चुनावों के अन्दर सदस्यगण लाखों रुपया खर्च करते हैं। मान्यवर, आपको याद होगा, एक समय टिस्को ने अपने हिसाब में राजनैतिक दलों को चन्दा देने की बात कही थी। टाटा के खिलाफ जब कोर्ट में मुकदमा चला तो बम्बई हाई कोर्ट में यह कहा गया कि बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज अपने बिजनेस के हित में राजनीतिक पार्टियों को चन्दा देती हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज अपने आदमियों को पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ाते हैं और जितवाते हैं। जहां तक

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

मुझे याद है, एक बार श्री गूलजारीलाल नन्दा ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, यह कहा था कि पार्लियामेंट में बिल के 50 आदमी हैं जो उसके बेतनभोगी आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के भ्रष्टाचार की बात भी लोकपाल बिल के अन्तर्गत आनी चाहिए। लेकिन सदन में जो भी लोग काम करते हैं उनको इस बिल के क्षेत्र से बाहर होना चाहिए।

दूसरी बात मंत्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में कही गई है। मैं चाहता हूँ कि लोकपाल की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए। अगर यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री के पास भेजी जाएगी तो यह प्रधान मंत्री की मर्जी पर होगा कि वह उस रिपोर्ट को सदन के सामने अपनी मर्जी के मुताबिक रखें। हम चाहते हैं कि जो संयुक्त प्रवर समिति बन रही है वह इन सब मसलों में जाएगी और उचित संशोधन करेगी। इस तरह से राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी लोकपाल के कार्यक्षेत्र में ले लिया गया है। हम समझते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, लेकिन इसके बहुत ही गहरे इम्प्लीकेशन्स होंगे। क्या इसके द्वारा हम राज्यों की स्वायत्तता पर हमला नहीं कर रहे हैं। प्रवर समिति को इस बिल के इस पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा कि मुख्य मंत्रियों को लोकपाल के कार्यक्षेत्र में लाकर क्या हम स्टेट अटानामी पर हमला नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि स्टेट अपने अपने यहां पर इस तरह के कानून बनायेंगी और मुख्य मंत्री जो होंगे, वह उसके कार्यक्षेत्र के भीतर होंगे। कुछ राज्यों ने ऐसे कानून बनाये हैं लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं है।

इसमें यह बात भी कही गई है कि जो भी शिकायत की जाएगी, इल्जाम लगाये जायेंगे तो इसके लिए कुछ पैसे जमा करने

पड़ेंगे। यह तो एक पूंजीवादी समाज की विशेषता है, जहां पर हर चीज पैसे से होती है, बिना पैसे के कोई चीज नहीं होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसे वाला हो वही यह कर सकेगा। हमारे देश में आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। उनके लिये एक हजार रुपया जमा करना आसान नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई पूंजीपति उनको ऐसा करने के लिये रुपया दे दे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDAT: Mr. Sharma, there is a provision for exemption. The Lokpal can provide that exemption.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, इस सहायता के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

हम समझते हैं और हमारी मंशा भी यही है कि शिकायत करने के लिये, इल्जाम लगाने के लिए पैसे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यह दूसरी बात है कि यदि कोई दृष्टतापूर्ण इल्जाम लगाये जायें। हाँ, दृष्टतापूर्ण इल्जाम न हों, इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए और इसके लिये आवश्यक कदम उठने चाहिए परन्तु पैसे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। इसका आधार पैसा नहीं होना चाहिए।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कहा गया है कि सेक्रेटरीज लोगों को, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज जो होते हैं, उनको लोकपाल के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। मैंने अभी गृह मंत्री महोदय की बात सुनी, शायद गृह मंत्री जी को गलतफहमी है कि वह जो पहला लोकपाल और लोकायुक्त बिल है उसमें लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी नहीं थे। लेकिन जहां तक हमको याद है मिनिस्टर, और सेक्रेटरी ये दोनों के दोनों लोकपाल के कार्यक्षेत्र

में थे और सेक्रेटरी के अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, वे लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में थे। मैं समझता हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचार बिना सेक्रेटरीज के नहीं हो सकता, मिनिस्टर भी यह बिना सेक्रेटरी की सहायता से नहीं कर सकता, मिनिस्टर सेक्रेटरी के थू करता है, क्योंकि आर्डर सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी और डायरेक्टर अपने आप भी करते हैं। कई बार अगर वह न करे तो उनके लिये बहुत तरह की समझौते पैदा हो सकती हैं। क्योंकि हम यह भी समझते हैं कि बहुत बार उन्हें यह पोलिटिकल प्रेशर से भी करना पड़ता है। मैं नहीं जानता हूँ कि उनको क्यों इससे बरी कर दिया गया है। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बिल आपको ऐसा बनाता है कि यह कारगर हो तो सेक्रेटरीज को भी इसके भीतर लायें। गृह मंत्री इस बात को मानते हैं कि विजिलेन्स कमिशन जो है, वह कोई खान काम नहीं कर रहा है, और फिर आप सेक्रेटरीज को इतना आजाद कर देंगे तो इस देश में और भी भ्रष्टाचार फैलेगा। यह बिल हम लोगों के सामने 10 साल से विचाराधीन है। कभी न कभी यह बिल पास होगा। अभी एक माननीय सदस्य ने बहुत ही नहीं कहा कि जिसके पास एकजीवूटिव पावर्स रहती हैं वही भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा कारगर आदमी है। यहाँ पर आपने एम०पीज और एम०एलएज को भी ले लिया। एम०पीज और एम० एलएज कोई एकजीवूटिव पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चुनाव के सिलमिले में जो खर्च होते हैं, उसके लिये जरूरी है। मैं जानता हूँ कि राज्य सभा में जो मेम्बर आते हैं, मान्यवर, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार से हर बार एक न एक आदमी जिसकी कोई पार्टी नहीं है बिहार विधान सभा में आ जाता है। मगर वह बोट खरीद करके बना आता है। नाम नहीं बताऊंगा बोट खरीद करके चले आते हैं। तो यह धेव भी होना चाहिए। हम वह नाम नहीं बतलाना

चाहते क्योंकि अभी हल्ला हो जाएगा। लेकिन सब को पता है

एक माननीय सदस्य : पता है सबको ...

श्री योगेन्द्र शर्मा : तो हर बार चला आता है। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं के० के० बिरला को उत्तर प्रदेश विधान सभा से राज्य सभा में लाने की क्या क्या कोशिश की गई और उसको लेकर क्या क्या काम नहीं हुआ। वह आ नहीं सका।

श्री श्याम लाल यादव : आ नहीं सका।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यादव जी आपको और आपके उत्तर प्रदेश को इसके लिए बधाई। नहीं आ सके, मगर वे आते हैं। वह नहीं आ सका तो दूसरे आ गये। लेकिन हमारी जो परेशानी है वह यह है कि इसमें सेक्रेटरीज को छोड़ दिया गया है। सेक्रेटरीज को छोड़ने के लिए जो बात गृह मंत्री जी ने कही है वह बात फ़ैक्चुअली गलत है। उन्होंने यह बात कही कि सेक्रेटरीज लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में थे। जो पहले बिल था उसमें सेक्रेटरीज लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में नहीं थे बल्कि लोकपाल के कार्यक्षेत्र में थे। जब आप एक लोकपाल नहीं कई कई लोकपाल बनाने की बात कह रहे हैं तो आपको सेक्रेटरीज को उसमें लाना चाहिए। हम तो समझते हैं कि जो आपने सिलेक्ट कमेटी बनाई है वह इन चीजों पर विचार करे और विचार करते वक्त इस बिल में इस चीज को देखे। इस बिल में राजनैतिक भ्रष्टाचार जिसका निकृष्ट रूप आया राम गया राम अर्थात् दल बदल है, को भी खत्म करने के लिए स्थान मिलना चाहिए। एम० एलए और एम० पी० जो है उनको लोभ दिया जाता है कि तुमको डिप्टी मिनिस्टर बना देंगे, पैसा भी दिया जाता है और दल बदल कराया जाता है इससे बढ़ करके राजनैतिक भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ऐसा कुछ भी इस बिल में नहीं है। हाँ हम यह जरूर सुन रहे हैं कि

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

एंटी डिफेक्शन बिल आएगा, बहुत दिनों से मुन रहे है

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : असली भ्रष्टाचार तो वही है

श्री योगेन्द्र शर्मा : मगर आप भी ला रहे थे . . . (Interruption) जब आप नहीं लाए तो वे लोग आपको तोड़ कर के ला रहे है (Interruption)

डा० रामकृपाल सिंह (बिहार) : और बोलने वाले सदस्य भी बैठे हैं . . . (Interruption)

श्री योगेन्द्र शर्मा : अब आप कांग्रेस वालों को तोड़ कर अपनी पार्टी में ला रहे हैं। यह सब से बड़ा पोलिटिकल करप्शन है। आपको क्या नैतिक अधिकार है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें... [Interruption] आप सबसे बड़ा और निकृष्ट राजनीतिक भ्रष्टाचार दल बदल करवाने का काम कर रहे हैं। तो इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान हो, ऐसा मालूम नहीं होता है। पता नहीं . . . (Time bell rings)

एक माननीय सदस्य : शर्मा जी हम नहीं तोड़ रहे हैं

श्री योगेन्द्र शर्मा : घूस लेने वाला पापी है और घूस देने वाला भी पापी है। घूस देने वाला कहता है कि घूस लेने वाला पापी है और घूस लेने वाला कहता है कि घूस देने वाला पापी है। यही मामला है आपका

(Time bell rings)

THE VICE CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Sharma please wind up now.

SHRI K. B. ASTHANA: Freedom of association is a fundamental right.

श्री योगेन्द्र शर्मा : हां, हां डिफेक्शन कराना आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप चले

जाइये सुप्रीम कोर्ट में। तो मान्यवर . . . (Time bell rings) . . . मैं खतम कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं मुझे पता नहीं कि इस बिल में ऐसी गुंजाईश है या नहीं। और जब इस बिल में इसकी कोई गुंजाईश हो सके तो हम जुआइंट सेलेक्ट कमेटी से प्रार्थना करेंगे कि वह चीज को देखे यदि नहीं है तो आडवाणी जी भी हैं

एक माननीय सदस्य : जज साहब भी हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : एक्जीक्यूटिव पावर तो उनके पास नहीं है। एंटी डिफेक्शन बिल इस सेशन में पास करें। भ्रष्टाचार ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि हमारे सभी अफसर एक तरह के नहीं है। बहुत से ईमानदार भी हैं। परन्तु हालत यह है कि बेईमानी चलती है और ईमानदार आदमी को सजा हो जाती है और उसके 5 P.M. लिए काम करना भी कठिन हो जाता है। हमारे मित्र भूपेश गुप्ता जी कई एक बार इस सदन में ऐसे ईमानदार अफसरों का नाम बता चुके हैं जिन्होंने बड़े बड़े विजिनेज हाऊसेज के खिलाफ जांच करने की हिम्मत की। उन्होंने नाम बतलाया है गुहा साहब का, इन्कम टैक्स विभाग के अफिसर हैं। हमने भी उनका नाम सुना है, बहुत ही ईमानदार हैं और इन्होंने बड़े बड़े विजिनेस हाऊसेज की जांच करने की हिम्मत की। इसे हिमाकत ही कहा जाना चाहिए आजकल। क्योंकि बिड़ला और वालेस के खिलाफ जांच करना एक हिमाकत ही हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस बेचारे को जाना पड़ा। तो हम समझते हैं कि एक तरफ जहां भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए वहां ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कार भी मिलना चाहिए तभी एक हद तक हम देश में ऐसा वातावरण बना सकेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायता मिल सकेगी। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार को जड़मूल से निर्मूल करना चाहते हैं तो उनको पृथिवी

**म्यवस्था को जड़ मल से खत्म करना पड़ेगा
वरन् भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ।**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri L. R. Naik Please be brief.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): I will be brief. I will take only two or three minutes.

Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for having given me this opportunity to say a few words on such an important subject as the Lok Pal Bill.

[The Vice-Chairman (Shri Shyam Lal Yadav) in the Chair.]

Of course, there is no doubt, looking at the magnitude of corruption that prevails in this country, that some such beginning has to be made to see that corruption is reduced to the minimum. I have heard with rapt attention some of the hon'ble Members with regard to the genesis of corruption. In this respect, I would like to give my experience when I was in London as a Trade Commissioner for the Government of Karnataka. I was there for a decade and my family and I have enjoyed the benefits of an affluent society. In that society, what happens is that a large number of people are honest because of the affluence. The result is that only a few, or a very small percentage of the people, indulge in corrupt practices. Even then, in such a country like the U. K., we have seen that the Lok Pal system has been introduced only a few years back. He is called the Parliamentary Commissioner. If we analyse the Act under which such authority has been created in the U. K., we find that his jurisdiction covers a very few dignitaries at the top. This is a very important point which I would like to highlight. There are also similar provisions in the Scandinavian countries like Norway, Finland, Denmark and in some other countries. In those countries also, we find that the jurisdiction of the Lok Pal or the

Ombudsman as he is called there, is of a limited nature. With that experience in view, if we analyse this Lok Pal Bill, we find that it covers a large number of dignitaries and public men at high places. In such a case, I am afraid, the Lok Pal may not be in a position to dispose of all the cases that may come up to him in respect of all these dignitaries. Therefore, in my honest opinion, it would be necessary to limit the jurisdiction of the Lok Pal as envisaged in the Lok Pal Bill. I would like to say that people to be covered by this Lok Pal Bill should be, firstly, as has been rightly provided in the Bill, a Prime Minister and his Cabinet colleagues. Then, at the State level, a Chief Minister and his Cabinet colleagues and Secretaries to the various Departments of Government and none else. If we were to include the Members of Parliament, I am afraid that you will be breaking the very edifice of the parliamentary system in this country. That is a very important point and, therefore, I am of the opinion that Members of Parliament should be excluded so that they should have the fullest independence of thinking and doing and they should be in a position to haul up any corrupt people, howsoever high or mighty he may be.

Besides this, as our friends have already said very well, when a Prime Minister is covered by this Bill, it is necessary that, if his action is to be questioned effectively before the Lokpal, the Lokpal's report must have some respect when it reaches the authorities concerned for any action as deemed fit. In the case of this Bill it is provided that when a report is made by a Lokpal against the Prime Minister, it should go to the Prime Minister himself and the Prime Minister in return will send it to the Council of Ministers. As one of our hon. Members has very rightly said, this will have absolutely no meaning in practice and I agree with him. There are some such loopholes, no doubt, in this Bill and the phraseology used also is of a very defective type.

[Shri L. R. Naik]

as the hon. Member, Shri Asthana,, has very well said. So, under these circumstances, though I welcome the intent of the Bill and its reference to the Joint Select Committee, I am afraid, I have my own misgivings on the actual provisions of this Bill and I trust the Select Committee will go into these problems and give us the Ombudsman-type system as it is obtainable mostly in the west European countries. With these few words, Mr. Vice-Chairman, I Have done.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Karnataka): Sir, I will take only a few minutes. I rise to support this Motion introduced by the Home Minister for formation of a Lokpal. Sir, this arose as a result of the recommendation made by the Administrative Reforms Commission which was considering the problem of redressal of citizens' grievances. Sir, the citizens' grievances against officers and against *so* many other persons could be handled in so many other ways, like the commissions, inquiries, vigilance commissions, commissions under the Commissions of Inquiry Act, but so far as the politicians and persons in high authority were concerned, there was hardly any way by which any of the grievances of the people could be redressed. So, in order to overcome this, the Lokpal and Lokayukts Bill was introduced in 1968 and also in 1971, but unfortunately, due to dissolution of Lok Sabha on both the occasions, the Bill could not pass through. I am glad that the present Government has brought forward the Lokpal Bill which is based on the recommendations of the Administrative Reforms Committee and has, as its base, the many provisions which were there earlier in the Bill. They have made many improvements on that, like the inclusion of the office of the Prime Minister, also the Chief Ministers and others within the scope of this Bill. Sir, I certainly agree with my other friends like Mr. Nanda

that the problem is not limited only to the solution envisaged in this Act. The solution also requires to be in various other spheres like the main corruption which arises out of our election system. So our electoral laws have to be reviewed and measures like Anti-defection Bill introduced. This, I hope, the Government will be bringing forward in course of time.

Sir, I do not want to go into further details. Many distinguished Members from both sides have made various suggestions and we have got a large and distinguished Select Committee which, I am sure, will go into every aspect of this Bill. With these words, I support the Bill and I hope the Select Committee will do justice to it and after its report comes before this House, we will have ample opportunity of debating further on this Bill. Thank you, Sir.

SHRI N. K. BHATT (Madhya Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a much-awaited measure which has been introduced by the Home Minister in this House. This Bill has been introduced with a view to maintaining high standards of public morality and life. Sir, this conception presupposes certain atmosphere which is very necessary to give effect to the measure which has been placed before Its. Most of our friends, or probably the authors of this Bill have the example of Ombudsman or the practice which is prevailing in the Scandinavian countries before them. But what is prevailing there has got its own limitations. They are small countries, with less population and probably they do not have the problems that a vast country like India has. They are in essence, a theocratic sort of democracy. They do not experience the complicated problems that we do experience in a country like India where there is a teeming population and the languages, religions, habits and all these factors differ. In view of this, whatever may be the thinking of my friends on this

side or the other side, the pattern of Ombudsman cannot suit and will not suit the requirements of our country.

Sir, the Bill which has been placed before us is rather disappointing since there has been a material change in the original scheme. The original scheme or idea was based on the recommendations of the Administrative Reforms Commission. The ARC made certain specific recommendations and those had, no doubt, been taken into consideration in the first two Bills which were passed by the Lok Sabha but which, unfortunately, lapsed. The present Bill comes before us with a material change. That change will defeat the very purpose for which the Administrative Reforms Commission made the recommendations. Sir, the Prime Minister is the executive head of our country and he cannot be a judge of the actions of his own people. There has to be an independent authority. An independent authority of Lok Pal has, of course, been provided, but the scheme excludes altogether the Secretaries. There is mention of the Prime Minister and his Council of Ministers, but there is no mention of Secretaries. In the functioning of our democracy, the Secretaries play a very important role. After all, the Ministers have their limitations, but it is the Secretaries who are the guiding factor and it would be simply improper that Secretaries should be dropped out from the present scheme.

SHRI KALP NATH RAI: Shri H. M. Patel was there.

SHRI N. K. BHATT: Every body knows this. We need not go after a particular Secretary. But the fact remains that the Secretaries must be included in this scheme. There is a provision in the Bill that makes it effective retrospectively. In view of this it appears we have got certain prejudices and the Bill is being introduced probably with a biased mind. A measure like this should have prospective effect and not retrospective effect.

Sir, it is a happy augury that this important legislation is being referred to a Joint Committee. This Committee has got experienced parliamentarians on it and they are bound to go into the details of the whole question. But, Sir, it is not enough if somebody is enabled to complain by paying a thousand rupees. If the charges are proved, then certainly the machinery should take action. But if a complaint is proved to be wrong, then certain measures should be taken against such complainants against any man of public importance.

Sir, there is another thing which I want to say. The Report of the Lokpal should not go to the Prime Minister. In all fairness it should be placed before Parliament and Parliament should be the final authority to debate it and give its recommendations.

Sir, I will not take much of your time because most of the points have been covered by my friends. But the principal idea is that we are all determined and agree that we should do everything we can to eradicate corruption but corruption as it cannot be removed only by enacting certain laws but it also requires an overall change in our thinking and approach to all social, moral and economic problems.

With these words. Sir, I conclude.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) :

उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ, और समर्थन भी मैं सोच समझकर करता हूँ। जहाँ तक विरोधी दलों के सदस्यों का सम्बन्ध है, वह तो चार महीने के इतिहास ने बताया कि इनके बगैर भी वह हमारा चलान कर सकते हैं। इसलिए जो घबराहट है इधर के विरोधी दल के सदस्यों को वह घबराहट हमको रखनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह सदस्यों के ऊपर रहे इसलिए कि जहाँ तक विरोधी दलों के सदस्यों का सम्बन्ध है, चार महीने का इतिहास बता सकता है कि

श्री रणवीर सिंह

हिन्दुस्तान की संसद और एसेम्बली के सदस्यों के खिलाफ किस किस दफा में मुकदमें दर्ज हुए हैं और उनका कोई सम्बन्ध भी है या नहीं।

उपसमाध्यक्ष जी, हमारे पहले रक्षा मंत्री जब भारत के रक्षा मंत्री बन गये थे उस समय भिवानी में एक घंटाघर को तोड़ा गया। यहां के रक्षा मंत्री का तोड़ने से क्या सम्बन्ध हो सकता है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। रक्षा मंत्री उस रोज वहां थे या कहां थे, यह तो सपय बतायेगा जब वह अदालत में कागज जाएगा। लेकिन उस घंटाघर के तोड़ने का मुकदमा जो किसी सरकारी अफसर ने जो अदालत में, हाई कोर्ट में जब रिट में गया और जिस जायदाद को अवकायर किया गया, उस जायदाद का मुआवजा दिया गया। मुआवजा अगर कम है तो अदालत में जाता, लेकिन उस में एक प्राइवेट इस्तगासा चोरी और डकैती का दर्ज कराया जाता है संसद सदस्य के खिलाफ। तो इसलिए विरोधी दल के सदस्यों को इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए और यह घबराहट कि प्रधान मंत्री के कागज केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने आयेगे, इससे भी घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रधान मंत्री कभी कोई एक इस देश में रहा नहीं और रहने वाला नहीं है। अगर वह कागज बनेगा तो उस कागज के ऊपर पांच साल के बाद, चार साल के बाद कार्यवाही की जा सकती है अगर किसी मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के कागजात हैं और लोकायुक्त उनके बारे में मंत्रिमंडल को लिखता है और वह मंत्रिमंडल उन कागजात को दवा देता है तो जो नया मंत्रिमंडल आएगा वह उन कागजातों की आसानी से तलाशी कर सकता है, जैसा कि हमारी जनता पार्टी की सरकार तलाश कर रही है। यहां तक कि जमीन के नीचे रखे हुए कागजों को भी निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। मैं तो यह मानता हूँ कि प्रवर समिति के पास यह बिल नहीं भेजा जाना चाहिए चौधरी चरण सिंह सिंह जी से मैं इस बात से

सहमत हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बिल को पास किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें मुख्य मंत्रियों का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर इसमें किस का नाम होना चाहिए? यह भी कहा गया कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार होगी, उनके दबाव में आकर के राज्यों के मुख्य मंत्री काम करेंगे और उनकी आजादी पर रोक लगेगी। मैं समझता हूँ कि इन सब विचारों के अन्दर कोई बहुत बड़े तथ्य नहीं है। सिर्फ सोचने का फर्क है। जो पार्टियाँ इस देश को एक कोम का न मानें, कई नेशनलिटी का मानें, भारतीयता को एक न मानें, उनके प्रति कोई रोक होनी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि जैसा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि उन पर रोक होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि इस देश के अन्दर बड़ी मुश्किल से जो नक्शा तैयार किया गया था और बड़े प्यार और प्रेम से इस देश के मुस्लिम हिस्सों को एक करने की जो कोशिश की गई है, जनता पार्टी की सरकार ने इन चार महीनों के अन्दर उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत हो। इसलिए यह जरूरी है कि मुख्य मंत्रियों के ऊपर कोई न कोई अंकुश होना चाहिए। मुझे किसी मुख्य मंत्री से प्यार नहीं है। मुझे अपने देश से प्यार है।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर इसके विपरीत राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें होंगी तो उनके खिलाफ मुकदमें चलाये जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मुकदमें तो इस वक्त भी चल रहे हैं और बनाये जा रहे हैं। इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। जनता पार्टी के सदस्यों को और जनता पार्टी के मंत्रियों को यह भ्रम है कि हमारी तरफ बैठने वाले सदस्य इसकी मुखालफल करेंगे। हमने इस कानून का समर्थन

किया है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इसको समझने की आवश्यकता है।

जैसा कि शर्मा जी ने कहा है, एक बात से मैं सहमत हूँ कि इस बिल में जुमाने की बात नहीं होनी चाहिए और इसमें जमानत जब्त करने की बात भी नहीं होनी चाहिए ताकि जो भी शिकायत करना चाहे, उसके सामने कोई रोक, रुपये की कमी नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और फिर भारत सरकार से सिफारिश करता हूँ कि अगर यह बिल प्रवर समिति में जाता है तो अगले सेशन के बीच में ही इसको सदन में आना चाहिए ? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के सदस्यों की यह भावना और कोशिश होगी कि इस बिल को खटाई में डाला जाये और उनके मंत्रियों की भी यह कोशिश होगी इस बिल को खटाई में डाला जाये। जो विरोधी दल के सदस्य हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जल्दी पास कराने की कोशिश करें।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : क्या आपको अब अपना मुँह शीशे में दिखाई दे रहा है, जो इस तरह से कह रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, हमने आईने में अपना मुँह अच्छी तरह देखा है। जरा माननीय सदस्य अपना भी मुँह देखें। हमारा मुँह तो देखा गया अब आप अपने आपको ठीक करो। हमारा इससे आगे अभी कुछ बनने वाला नहीं है आप अपनी फिक्र करो। अपना मुँह रोशनी में, आईने में देखकर आइये। हिमाचल प्रदेश में जो श्यामा शर्मा मंत्री हैं, उनके ऊपर आपने एक घटक के भाइयों ने हमला कराया और फिर चरित्र हनन की बात कर रहे हैं। अपना चेहरा शीशे में देखो। हम लोगों ने देख लिया है और भोग लिया है अब आप देखिये।

श्री चरण सिंह : हमारा चेहरा देखने लायक है ही नहीं।

श्री रणवीर सिंह : चौधरी साहब, यह बात नहीं। मैंने आपकी ताईद की थी। इसको प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक से हमारे विरोधी दलों के सदस्यों को घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इससे जनता पार्टी के सदस्यों को घबड़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे लिये कई कानून हैं वह हमें किसी भी कानून से जेल करा सकते हैं। इसलिये हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को घबराहट है तो वह गलतफहमी में हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं केवल दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ।

पहला सुझाव तो मेरा विशेषरूप से यह है कि हमारी यह जो पार्लियामेंट है, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत परम्परायें ली गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक केस डिस्टाइड हुआ है, मिस्टर माडलिंग का। यह एक बहुत प्रमुख केस था। इस केस के सम्बन्ध में समिति ने जो अपना निर्णय दिया है, उसके विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उसमें विशेष रूप से उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंट के सदस्य अपनी बातों को रख सकें, इस बात के लिये उस देश की संसद को जागरूक रहना चाहिए। हमारे यहां दो प्रकार के केसेज हो चुके हैं। एक तो इस प्रकार के केस हुए हैं कि अगर किसी पार्लियामेंट के सदस्य ने पार्लियामेंट के सदस्य के नाते कोई अपराध किया है तो उसको पार्लियामेंट ने सजा दी और केवल सामान्य सजा ही नहीं दी बल्कि संसद की सदस्यता से भी खारिज कर दिया। श्री मुदगल का केस इसका एक प्रमाण है। मुदगल केस में पार्लियामेंट ने उसको सजा दी और श्री मुदगल को पार्लियामेंट की

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सदस्यता से हटना पड़ा। एक इस प्रकार का प्रमाण भी है कि अगर पार्लियामेंट का मेम्बर रहते हुए कोई व्यक्ति बाहर अपराध करता है तो बाहर के कानून उसके लिये पर्याप्त हैं और उसको सजा मिल सकती है। उदाहरण के लिये तुल मोहन राम का केस है। तुल मोहन राम ने पार्लियामेंट का मेम्बर रहते हुए बाहर कुछ इस प्रकार के कार्य किये, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा, और अभी तक कोर्ट में उन पर मुकदमा चल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि संसद में इस प्रकार की व्यवस्था है कि संसद सदस्य, संसद सदस्य के नाते अगर कोई अपराध करे तो संसद की समिति उसको सजा दे सकती है और अगर व्यक्तिगत रूप से वह कोई अपराध करे तो बाहर के कानून उसके लिये पर्याप्त हैं। संसद सदस्य इस परिधि में आयेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस् कमीशन ने इस बात की इजाजत नहीं दी थी। इस बात के ऊपर थोड़ा सा गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूँ कि ताकि संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। यह तीस साल के बाद एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है।

दूसरी बात मैं विशेषरूप में यह कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस् कमीशन के सामने यह प्रश्न था, और कई बार पहले भी जब लोकपाल और लोकायुक्त की चर्चा आई, तो लोकपाल के संगठन को निष्पक्ष बनाये रखने की दृष्टि से यह कहा गया कि उसकी नियुक्ति में विरोधी पक्ष का जो भी नेता होगा, चाहे विधान सभा का हो और चाहे संसद का हो, उसको अवश्य विश्वास में लिया जायेगा। लेकिन इस बार विरोधी पक्ष के नेता को हटाया जा रहा है तो इससे मैं समझता हूँ कि उस संगठन में जो निष्पक्षता की झलक आनी चाहिए थी, वह निष्पक्षता

की झलक नहीं आ सकी है। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जहाँ आपने प्रधान मंत्री, लोक सभा के स्पीकर और राज्य सभा के चेयरमैन, इन सब को रखा है, वहाँ विरोधी दल के नेता का उसमें रहना बहुत आवश्यक होगा, जिससे उसकी निष्पक्षता जो है, वह झलकती रहे।

तीसरी बात, मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में कहना चाहता हूँ। उन्होंने अभी राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए लोकपाल के संगठन के संबंध में चर्चा की और लोकपाल के संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा था कि हमारे देश में जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसा वातावरण है उसके लिये श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि—लोकपाल के लिये किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति उचित नहीं होगी। उसके लिये दो या तीन व्यक्ति होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोकपाल एक व्यक्ति न हो, बल्कि लोकपाल एक संस्था हो, लोकपाल एक संगठन हो ताकि उसमें एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहा जाये। अगर देश के विपक्षी नेता को विश्वास में न लिया गया और सरकार अपनी दृष्टि से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर ले तो वह निष्पक्षता वाली बात जो है, वह श्री जय प्रकाश नारायण के शब्दों में, उससे प्रभावित होगी। इसलिये वह व्यक्ति न होकर एक संस्था या संगठन हो। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ।

चौथी बात यह है कि जो आपने एक हजार रुपया जुर्माना या 500 रुपया जुर्माना देने की व्यवस्था की है, मैं स्वयं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। अगर किसी की शिकायत हो, किसी को बदनाम करने की दृष्टि से हो तो उसको कोई हैवी पनिशमेंट या भारी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई आसानी से किसी के ऊपर कीचड़ न उछाल सके। यही कह कर मैं समाप्त कर रहा हूँ।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि जहाँ तक इस बिल के सिद्धान्त की बात है शायद किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लोक सभा में जाना था वहाँ भी बहुत जरूरी था इसलिए मैं यहाँ न रह सका। लेकिन मैं यह समझता हूँ मेरे दूसरे दोस्तों ने भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन किया होगा। अब जो माननीय शास्त्री जी ने बात उठाई है इन सब पर जुवाइंट सलेक्ट कमेटी में विचार किया जा सकता है और इसीलिये इसको वहाँ भेजा जा रहा है। वैसे मैं मेम्बरान को अपनी राय देना चाहता हूँ कि मेम्बरान को यहाँ पर जो आते हैं अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। अगर वे इसके अंदर शामिल कर लिए गए तो ऐसी आजादी महसूस नहीं करेंगे मैं नहीं समझता क्यों नहीं महसूस करेंगे। किसी को अपनी बात कहने के लिए प्रतिबन्ध नहीं है।

आपको फ्रीडम आफ स्पीच है यहाँ भी है और बाहर भी है। यहाँ तो आपका प्रविलेज है। केवल कहने का सवाल नहीं है अमल करने का सवाल है। अभी तलमोहन राम का किस्सा पिछले पार्लियामेंट में हो चुका है तो वह बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत से मेम्बरान असेम्बली या मेम्बरान राज्य सभा भी गलती करते हैं और गलती भी ऐसी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए जिसका असर सारे देश पर पड़ता है क्योंकि मेम्बरान की बहुत ऊँची पोजीशन है। कल को वे मिनिस्टर हो सकते हैं या जो मिनिस्टर हैं वे मेम्बर हो सकते हैं। तो मेम्बर पार्लियामेंट मामूली पद नहीं है। ऐसा नहीं कि 'ए मैन इन दी स्ट्रीट' वाली बात है। उसकी एक प्रेस्टिज है, एक पोजीशन है, एक पावर है। क्योंकि जो मिनिस्टर है, वह प्राइम मिनिस्टर के नजदीक है, उनका साथी है इसलिए उनको, सबको यहाँ रखा है। रहा यह कि साहब बाहर मुकदमा चल सकता है। बाहर तो मुकदमा

हर कोई चला सकता है। अगर मिनिस्टर गलती करे तो उसके ऊपर नो-कानफिडेंस मोशन करके निकाला जा सकता है तो फिर मिनिस्टर को भी नहीं रखना चाहिए। प्राइम-मिनिस्टर को भी पार्टी निकाल सकती है। लेकिन होता क्या है? हम देखते हैं कि वे लोग निकल नहीं पाते हैं। इसलिए इस बिल को लाने की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा फिर अगर इसमें मेम्बरान पार्लियामेंट न रहें, मिनिस्टर न रहें तो फिर इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? खैर जो कुछ भी हो जो हमने जुवाइंट कमेटी की तजवीज रखी है निष्पक्ष तरीके से हो, पार्टी का आइडिया उसमें न हो। हमने तो जाहिर है कि 21 सदस्य जनता पार्टी के रखे हैं और 23 विरोधी पक्ष के रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें देश की दृष्टि से विचार हो किसी पार्टी को निगाह में रख कर न हो। यह देश तो बदनाम हो चुका है। आपकी इकानोमिक डेवलपमेंट रुकी हुई है और जीवन के हर स्फीयर में भ्रष्टाचार घुस गया है। केवल रिश्वत लेना पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार नहीं है। झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है। बचन देकर पूरा न करना भी भ्रष्टाचार है। मैं तो यह भी भ्रष्टाचार समझता हूँ कि बच्चे को टेलीफोन पर कहलवा देना कि पिता जी घर पर नहीं हैं, मैं तो इसे भी भ्रष्टाचार कहता हूँ। रोज किसे होते हैं। यह हमारा जो सारा स्टैंडर्ड है, गिर चुका है। अंग्रेजों के जमाने में जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने जो स्टैंडर्ड कायम किया, देश आजाद होने के बाद अब वह नीचे गिरता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। इसके लिए बहुत से उपाय सोचने होंगे। लेकिन एक उपाय यह भी है चाहे आदमी जितने बड़े पद पर हो उसके एक रेकटीट्यूड के साथ रहना चाहिए। उतने ही ऊँचे आदर्श उसको स्थापित करने चाहिए। संथानम् कमेटी ने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भी कहा और सभी लोगों को राय हम सुन रहे हैं।

[श्री चरण सिंह]

1968 में हमने जब कांग्रेस में ये तो पेश किया था। तो जरूरत तो वे भी महसूस करते थे। अगर जरूरत महसूस नहीं करते थे तो पब्लिक ओपीनियन दिखाने के लिए पेश किया। लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। हमने कोई बात इसमें छिपाई नहीं है। न ही कोई ऐसी चीज है जो कि नाकारबिले अमल हो। गवर्नमेंट की मंशा केवल यह है कि बहुत कुछ बर्बादी हो चुकी है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं। लेकिन सब हमको एक ऊंचा स्टेण्डर्ड कायम करना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The question is;

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and for matters connected therewith, and resolves that the following 15 members of the Rajya Sabha, namely:—

- (1) Shri Rabi Ray,
- (2) Shri Sunder Singh Bhandari,
- (3) Shri Mahadeo Prasad Varma,
- (4) Shri Vithal Gadgil,
- (5) Shri D. P. Singh,
- (6) Shri Devendra Nath Dwivedi, •(7)
Shrimati Margaret Alva,
- (8) Shri A. R. Antulay,
- (9) Shri Sawaisingh Sisodia,
- (10) Shri N. G. Ranga,
- (11) Shri S. W. Dhabe,
- (12) Shri Bipinpal Das,
- (13) Shri Bhupesh Gupta,
- (14) Shri K. A. Krishnaswamy, and
- (15) Shri G. Lakshmanan,

be nominated to serve on the said Joint Committee."

The motion was adopted.

**Re DEMAND FOR DISCUSSION ON
WHITE PAPER ON THE MISUSE
OR MASS MEDIA DURING THE
INTERNAL EMERGENCY**

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, now that Mr. Advani is here, I am making this demand again. I have given notice of a motion for discussing the White Paper separately, not with the Ministry's discussion—working of the Ministry. Discussion on the working of the Ministry means discussion of the report of the Ministry which is an entirely different matter. In the discussion of the report of the Ministry many other things are there. The other House is taking it up separately. I suggest that the White Paper should be separately discussed. It should not be confused with the discussion on the working of the Ministry. The report that has been given is for the last year or so. That relates to various other things which have nothing to do with this kind of a discussion. Therefore, I request that time be found next week so that we can discuss the White Paper. It has concealed much. Whatever it has given, it is shocking enough. So we would like to have a discussion in order to evolve certain norms, certain rules, for the guidance of Parliament and Government and the country, if you like that way. Therefore, I hope Mr. Advani will bear it in mind and he must not kindly mix up this discussion, special discussion on the White Paper, because in that discussion we can give an opinion....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Yes, he has heard it.

SHRI BHUPESH GUPTA: We cannot give an opinion on the report of the Ministry. The report is just discussed. But we can give an opinion on the motion for consideration by way of an amendment when the